आज दिनांक 15.04.2015 को मुख्य सचिव, बिहार सरकार की अध्यक्षता में बिहार राज्य खाद्य निगम अंतर्गत धान अधिप्राप्ति से संबंधित प्रमादी मिलरों के पास बकाया राशि की वसूली से संबंधित बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– संलग्न सूची के अनुसार।

सर्वप्रथम मुख्य सचिव महोदय द्वारा पूर्व में हुई बैठक दिनांक 17.03.2015 को हुई चर्चा की पृष्ठभूमि में अद्यतन प्रमादी मिलरों के संबंध में पृच्छा की गयी। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा बैठक में बताया कि उक्त बैठक के बाद लगभग 546 प्रमादी मिलरों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है और कुल 148 प्राथमिकी दोषी पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध दायर किया जा चुका है एवं इस संबंध में प्रतिदिन कार्रवाई जारी है।

प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम ने यह भी बताया कि लगभग 20 करोड़ रू0 की वसूली हुई है तथा प्रतिदिन प्रमादी मिलरों से बकाया राशि का ड्राफ्ट लेकर संबंधित जिला प्रबंधक से मिलकर राशि जमा करने का शपथ–पत्र दे रहे है।

पॉच करोड़ रू0 से अधिक बकाया वाले प्रमादी मिलरों के विरूद्ध आर्थिक अपराध ईकाई में प्राथमिकी दर्ज करने का दिनांक 17.03.2015 को सम्पन्न बैठक में जो मुख्य सचिव, बिहार निदेश दिया गया था, उसके अनुपालन में महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध ईकाई, बिहार द्वारा मामले की अधिकता एवं व्यस्तता के कारण आठ करोड़ से उपर के मामले को आर्थिक अपराध ईकाई, बिहार में दर्ज करने का अनुरोध किया है, जिसके अनुपालन में सात मामले की सूची पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध ईकाई, बिहार, पटना को भेजी गयी है एवं संबंधित जिला प्रबंधक को आर्थिक अपराध ईकाई, बिहार थाना में मामले दर्ज करने का निदेश दिया जा चुका है।

उक्त के आलोक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा कार्रवाई में और तीव्रता लाने एवं निम्न कार्रवाई करने का निदेश दिया गया :–

1. जिन मामलों में प्रमादी मिलरों के विरूद्ध निलाम–पत्र दायर किया गया है एवं विधिवत कुर्की जप्ती वारंट निर्गत किया गया है, उसकी सूची प्राप्त कर पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को उपलब्ध कराये एवं इसके कार्यान्वयन की प्रगति की प्रतिदिन समीक्षा की जाय।
2. जिन बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियें के विरूद्ध राज्य खाद्य निगम द्वारा प्रपत्र 'क' भेजा गया है, उसमें सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना त्वरित कार्रवाई की जाय।
3. जिला स्तर के दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध तीन दिनें के अंदर प्रपत्र 'क' जिला पदाधिकारी के माध्यम से संबंधित विभागाध्यक्ष को भेजी जाय एवं संबंधित विभागाध्यक्ष तीन माह के अंदर विभागीय कार्यवाही का निष्पादन कराना सुनिश्चित करें।
4. दो दिनों के अंदर आर्थिक अपराध ईकाई थाना में जिन मामले में प्राथमिकी दर्ज की जानी है, उसको दर्ज करायी जाय।
5. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना को निदेश दिया गया कि सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों की बैठक कर सभी अद्यतन प्रतिवेदन ससमय संकलित कर संबंधित विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

16.04.15

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार।

D:\Section 10\2013\Sec_4\Pramadi Millar se sambandhit 2015.doc

ज्ञापांक –प्र04/ख0वि0अधि0–04/2014 3152 खाद्य/पटना/दिनांक 16.04.15
प्रतिलिपि – पुलिस महानिदेशक, बिहार/पुलिस महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना/प्रधान अपर महाधिवक्ता, बिहार, पटना/अपर पुलिस महानिरीक्षक, (विशेष शाखा) बिहार, पटना/महानिरीक्षक, (मुख्यालय) बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध ईकाई, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/सचिव, पशुपालन एवं मतस्य विभाग, बिहार, पटना/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार ,पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, सोन भवन, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/माननीय मंत्री के आप्त सचिव एवं सचिव कोषाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/4/15
(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव।